भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1118

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

आरक्षित श्रेणियों की रोजगार स्थिति

1118. श्री देवेश शाक्य:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बीच बेरोजगारी के संख्यात्मक अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अनुपात को देखते हुए बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रोजगार के अवसरों में असमानता को देखते हुए भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकारी विभागों में कोई नीति मौजूद है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) ग्रामीण क्षेत्र में 5.3% से घटकर 2.5% और शहरी क्षेत्रों में 7.7% से घटकर 5.1% हो गई है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) जो विभिन्न सामाजिक समूहों अर्थात अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की उत्तर प्रदेश राज्य सहित सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी दर (यूआर) को दर्शाता है, निम्नानुसार है:

(%) में

सामाजिक समूह	सर्वेक्षण अवधि					
	2017-18			2023-24		
	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
एससी	37.6	35.2	6.3	45.1	43.6	3.3
एसटी	41.8	40.0	4.3	53.0	52.0	1.9
ओबीसी	36.2	34.1	6.0	44.4	43.0	3.1

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर में वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान यूआर में कमी आई है।

जहां तक केन्द्र सरकार में रोजगार अवसरों का संबंध है, अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को क्रमशः 15%, 7.5%, 27% और 10% आरक्षण खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों और सेवाओं में प्रदान किया जाता है। जहां तक सरकार में रिक्त पदों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों सहित रिक्त पदों की उत्पति और उन्हें भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार समाज के वंचित और हाशिये पर रहने वाले वर्गों, विशेष रूप से एससी और ओबीसी समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2014-2015 में अपनी तरह का पहला, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) शुरू किया गया था। 2017-2018 में पिछड़ा वर्ग के लिए इसी तरह की योजना (वीसीएफ-बीसी) शुरू की गई थी। वीसीएफ-एससी और वीसीएफ-बीसी के अंतर्गत क्रमशः 4% और 6% की कूपन दर पर 10 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरे देश में मान्य है।

इन योजनाओं का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और पिछडे वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करना है जो समाज के लिए धन और मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही अपने लाभप्रद व्यवसायों का संवर्धन करेंगे, जिससे इन समुदायों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी बढ़ेगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए देश भर में 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी-एससी/एसटी) के नेटवर्क के माध्यम से रोजगार चाहने वालों के लिए "वेलफेयर ऑफ एससी/एसटी योजना" को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य नौकरी के इच्छुक एससी/एसटी के युवाओं को श्रम बाजार की मांगों के अनुरूप तैयार करने हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, व्यावसायिक परामर्श, करियर सलाह और कम्प्यूटर ट्रेनिग इत्यादि द्वारा उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि जैसे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****